



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024

Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं०: 8बी/यू0पी0/06/12/2018/एफ.सी. 874

दिनांक: 01.02.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/22374/2017

विषय: जनपद एटा में अलीगढ़-कानपुर सेक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के किमी0 1800 से 2200.00 तक 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: क्षेत्रीय अधिकारी-उ0प्र0 (पश्चिमी), भा0रा0रा0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 19001/1/आर.ओ. संख्या, यू.पी. /वन/18844, दिनांक 06.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वन), उ0प्र0 के पत्रांक पी-15/14-2-2018-800(12)/2018, दिनांक 06-02-2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.04.2018 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ री-वातिक स्वीकृति जारी की गई थी। साथ ही समसंख्यक पत्र दिनांक 20.06.2018 द्वारा अतिरिक्त शर्त संख्या 12 अधिशेषित की गई थी। सचिव (वन), उ0प्र0 के पत्रांक 1142/81-2-2022-800(12)/2018, दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से शर्त संख्या-12 की अनुपालना प्रेषित की गई थी। प्रस्तुत अनुपालना के परीक्षणोपरान्त प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचनाएं मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 27.12.2022 को आहूत FRCM की बैठक में सम्मिलित किया गया था। FRCM की बैठक में लिये गये निर्णय पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण का उपरोक्त संदर्भित पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रकरण में निवारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएं/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. In the title of the proposal, it is indicated that the proposal is for the diversion of 'Protected Forest'. It is not clear how the reserve forest is also included in that?
2. It has been brought to the notice of this office after more than five years. What is the reason for this inordinate delay?
3. Divisional Forest Officer needs to verify that there is no change in alignment and provide a certificate to that effect.
4. How many trees are affected in this portion and what is their status at present?
5. NPV needs to be calculated as per the revised rates for the whole project.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
4. परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्र0, 47 झींग सिटी कालोनी, रारसोल, जी.टी. रोड, अलीगढ़।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)